

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received

05 JUL 2023

Dairy No. 3203

Signature

To,
The Registrar
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi

2293

विषय:— कार्यालय पत्रांक संख्या 556/ओ.जी.667/2023 दिनांकित 29/05/2023 के संदर्भ में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा पत्र सं०- 1095/भू०ज०वि०/ जि०स०ख०आ/अधि 2019/आगरा/दिनांक 01/03/2023 का प्रेषित पत्र में कहा गया है कि बोरवेल/ट्यूबवेल/सबमर्सिबल आदि के लिये भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है अन्यथा 02 लाख 05 लाख तक जुर्माना अथवा 06 माह से 01 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जायेगा।

यह कि आप ही के कार्यालय द्वारा दिनांक 09/05/2023 को भेजे गये पत्र सं०- 445/ओ.जी. 667/2023 में कहा गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.एस. संख्या 438/2018 (आरती बनाम केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 के क्रम में विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि भूजल दोहन हेतु उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर ही भूजल का दोहन किया जाये एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि०) 13381/84 (एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) की आई.ए. संख्या 42482/2020 में दिनांक 08/12/2021 को पारित आदेश का भी संदर्भ दिया गया है।

यह कि आपके विभाग द्वारा एक पत्र सं०- 556/ओ.जी. 667/2023 दिनांक 29/05/2023 में उपरोक्त विषय माननीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा एप्लीकेशन सं. 435/2018, आरती बनाम सेण्ट्रल भूगर्भ जल प्रबंधक परिषद् व अन्य आदेश दिनांक 17/10/2022 के अनुपालन में सयुक्त समिति द्वारा फाइनल कम्पनोशन के रूप में रु० 10,00,000/- दस लाख अधिरोपित किये गये हैं, के संदर्भ में आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कहना है कि आप ही के कार्यालय द्वारा जारी पत्र सं०- 1095/भू०ज.वि./जि.स.ख. आ/अधि 2019/आगरा दिनांक 01.03.2023 रु० 02 लाख से 05 लाख तक के जुर्माने अथवा 06 माह से 01 वर्ष तक के कारावास की बात कही गई थी दोनों आदेशों में विरोधाभास है।

Ld. R.G.

05.07.2023

Com. (2)

471/23/Judl.
10/07/23 Page 1 of 2

2294

यह कि उपरोक्त संदर्भ में हमारा कथन है कि हम लोग भी पर्यावरण के प्रति काफी सजग एवं चिन्तित है एवं भूगर्भ जल का बिल्कुल भी दोहन नहीं करना चाहते है।

यह कि हमारा सरकार एवं विभाग से निवेदन है कि सरकार द्वारा हमसे गृह कर एवं जलकर की नियमित वसूली की जाती है, सरकार द्वारा हमें जल संयोजन उपलब्ध कराकर आवश्यकतानुसार जलापूर्ति की जाये एवं नियमानुसार मीटर लगाकर जल मूल्य लिया जाये जिससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।

मेरे बजट होटल में 20-30 कमरों की प्रतिदिन 3-4 कमरे का औसत आता है। यहाँ 3-4 बाल्टी पानी का ही उपयोग होता है वह बहुत कम है।

यह कि जल आपूर्ति मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और हमारा मौलिक अधिकार भी है। एवं इस तरह से भूगर्भ जल के दोहन एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा।

अतः विभाग एवं सरकार से निवेदन है कि हमारी आवश्यकतानुसार जल संयोजन एवं जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाये एवं हमारे द्वारा आपके विभागीय पत्रों के दिये गये जबाब एवं मांगों से संबंधित न्यायालय एवं एन.जी.टी आदि को भी अवगत कराया जाये। आप द्वारा दिये गये नोटिसों में अन्य औद्योगिक, वाणिज्यकी व अवसरचर्चात्मक प्रतिष्ठान भी शामिल है परन्तु होटलों को ही निशान क्यों बनाया जा रहा है।

विशेष:- आगरा क्षेत्र का भूगर्भ जल फ्लोराइड आदि की अधिकता के कारण रोजमर्रा की जरूरत आदि के लिये उपयोगी नहीं है। दोहन होने से पर्यावरण को नुकसान और इस्तेमाल से मनुष्य को नुकसान होता है।

यह कि सरकारी संस्थानों अधिकारियों, राजनेताओं के बंगलों, मेट्रो इंडस्ट्री, नर्सिंग पानी के प्लांट आदि में जो भूगर्भ जल का दोहन होता है। उस पर अदालत, भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं एन.जी.टी एवं सरकार का क्या रुख है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जारी नोटिसों को अतिशीघ्र निरस्त कराये जाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद।

दिनांक:-

जोपल पाल

भवदीय

एकल बी. आर. इंटरनेशनल
प्लॉट नं० 57. ताजमहल (1)
आगरा